

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं.

/202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वास्तुवाए परिचय उपस्थित। पूर्वरीक्षा की जायना से पत्रावली दिनांक 22/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>
	22/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वास्तुवाए परिचय उपस्थित। प्रतिवादी सं. 7/19/10 की तस्वीर के सम्मन तस्वीरों पेश करने वास्तुवाए प्रतिम भवत्तर दिया गया। सम्मन तस्वीरों पेश होने पर जस्टिस R.L. Ad. जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>
	29.11.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिनन्ता अनुपस्थित। वादी को आज न्यायालय से प्रत्यक्ष समय पर तीन-तीन बार भवाजे लगवायी गयी। वास्तुवाए भवाजे लगवाने के उपरांत भी वादी ने न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली भन्तगति आरक्षण नियम 3 के तहत अदम हाजरी व अदम पेंशन में वास्तुवाए की जाती है। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर नकल ले कम होकर वास्तुवाए उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर</p>